न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / /2016 निगरानी निग-2083-I-16

1. कैलाश नारायण पुत्र जगन्नाथ प्रसाद
   आयु 68 वर्ष व्यवसाय कृषि,
2. भैयालाल पुत्र खेमचन्द
3. सौदान सिंह पुत्र बालकिशन जाति बरैठा
4. शान्तिबाई पत्नी लालाराम भोई
5. पप्पु पुत्र मंशाराम भोई

   समस्त निवासीगण ग्राम वर्धा तहसील शमशाबाद जिला विदिशा

..... आवेदकगण

बनाम

म0प्र0 शासन

..... रेस्पोडेण्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 31/05/2016 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शमशाबाद जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 221/16 अपील व उन्मान कैलाश नारायण व अन्य बनाम म0प्र0 शासन एवं विरूद्ध आदेश दिनांक 12/12/2015 न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील गंजबासोदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 60बी/21/2014–15 ग्राम बर्धा तहसील शमशाबाद।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1. यहकि, ग्राम बर्धा तहसील शमशाबाद की वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 862 पर निगरानीकर्तागण काविज कास्त होने से तथा करीब 40 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त कृषि भूमि पर रेस्पोडेण्ट की जानकारी में कृषि कार्य करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में आवेदकगण द्वारा विवादित कृषि भूमि के संबंध में दिवानीवाद मध्यप्रदेश शासन को

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 2083-एक/2016 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
5-8-16	अनुविभागीय अधिकारी शमशावाद जिला विदिशा व्दारा प्रकरण क्रमांक 22/15-16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31-5-16 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनॉक 31-5-16 का अवलोकन किया गया। 3/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-5-16 के अवलोकन से पाया गया कि उनके व्दारा पारित आदेश अंतिम आदेश है जो निगरानी योग्य न होकर अपील योग्य है एंव आवेदकगण के पास अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-5-16 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील करने का उपचार प्राप्त है। अतएव निगरानी इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	